

राज्य साख योजना 2009-10

STATE CREDIT PLAN 2009- 10

शासन द्वारा प्रवर्तित विविध योजनाओं का विवरण

विभाग का नाम:- संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर।

<p>1 योजना का नाम उप योजनाओं के नामों सहित। (यदि कोई हो तो) (यदि लागू होता हो, तो कृपया निम्नांकित जानकारी उप योजनावार प्रेषित की जाए।</p> <p>Name of the Scheme with sub-components, if any please give the following details sub-component wise if applicable.</p>	<p>1. लघु सिंचाई योजना 2. किसान समृद्धि योजना</p> <p>(1) Minor Irrigation Scheme (2) Kisan samridhi scheme</p>
<p>2 क्या यह योजना भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा प्रवर्तित है। Whether it is a government of India/State Government sponsored Scheme?</p>	<p>पूर्णतः राज्य पोषित योजना है। State Govt. Sponsored Scheme.</p>
<p>3 राज्य शासन के स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal Department/Directorate at the State level responsible for implementing the Scheme</p>	<p>कृषि विभाग Department of Agriculture</p>
<p>4 जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नोडल विभाग। Nodal office at the District level responsible for implementing the Scheme</p>	<p>उप संचालक कृषि Deputy Director of Agriculture</p>
<p>5 योजना का उद्देश्य। Objective of the Scheme</p>	<p>1. कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने नलकूप निर्माण के लिये अनुदान। 2. कृषकों के स्वयं के सिंचाई स्रोत निर्मित कर प्रदेश के सकल सिंचाई रकबे में वृद्धि करना। 3. सिंचित रकबे में वृद्धि, फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि।</p> <p>1) Subsidy provide to farmers for tubewell with an aim to increasing the irrigation efficiency. 2) To increase the irrigation acerage of the state. 3) To increase the production and productivity of the different crops.</p>

<p>6 क्या वह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। यदि नहीं तो तो कृपया यहां पर योजना क्रियान्वित की जा रही है उन क्षेत्रों/जिलों/विकासखंडों के नाम दर्शाये जाए।</p> <p>Whether the Scheme is being implemented in all the district of the State? If not, indicate the regions/districts/ blocks where the Scheme is under implementation</p>	<p>राज्य के समस्त जिलों में क्रियान्वित है।</p> <p>All districts of the state.</p>
<p>7 किस प्रकार के हितग्राही योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है (लघु कृषक/सीमान्त कृषक/अन्य कृषक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग/पुरुष/महिला आदि</p> <p>Type of Beneficiaries covered under the Scheme. (SF/MF/OF/SC/ST/Others/Men/Women, etc.)</p>	<p>सभी वर्ग के कृषक अनुदान के पात्र हैं।</p> <p>All categories of farmers will be beneficiaries of the scheme.</p>
<p>8 हितग्राहियों के लिये पात्रता मानदण्ड, यदि कोई हो तो</p> <p>Eligibility criteria for the beneficiary, if any</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. स्वयं के व्यय अथवा बैंक ऋण से खनित नलकूप हेतु खनन एवं पंप प्रतिष्ठापन पर अनुदान की पात्रता। 2. अन्य कृषि कार्य में बैंक ऋण प्रकरण में कृषक का डिफाल्टर न होना। 3. बैंक खाते के माध्यम से ही अनुदान की पात्रता। <p>Eligibility for subsidy-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 self expense or bank loan sanctioned for tubewell digging and pump establishment except subsidy amount 2 should not be defaulter in any bank loan 3 Loan should be paid through bank account.
<p>9 क्या सहायता व्यक्तिगत स्तर पर/समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर/दोनों व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर दी जाती है।</p> <p>Whether assistance is provided on an individual basis/group basis or both.</p>	<p>योजनान्तर्गत सहायता व्यक्तिगत स्तर में दी जाती है।</p> <p>Loan sanctioned for individual under the Scheme.</p>

<p>10 प्रदान किये जा रहे अनुदान विषय विवरण (यदि अनुदान की राशि, हितग्राहियों के प्रकार पर आधारित है तो कृपया प्रत्येक प्रकार के हितग्राही के लिये अलग-अलग जानकारी प्रस्तुत की जाये। दर (%) न्यूनतम अधिकतम</p> <p>Details of Subsidy provided. If the subsidy is provided on the basis of the category of beneficiary, please give category- wise details Rate (%)</p> <p>Minimum Maximum GOI Contribution State Government Contribution</p>	<p>अनुदान का विवरण निम्नानुसार है (1) लघु सिंचाई योजना (अ) सामान्य वर्ग के एवं सरगुजा तथा बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के विकास खण्ड एवं ग्रामों के बाहर के अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों को खनन लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000/- तथा सफल नलकूप में पंप एवं सहायक सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 15,000/- (ब) सरगुजा एवं बस्तर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विकासखंड एवं ग्रामों के अ.जा./अ.ज.जा. वर्गके हितग्राहियों को खनन लागत या अधिकतम 18,000/- तथा सफल नलकूप में पम्प एवं सहायक सामग्री की लागत या अधिकतम रुपये 25,000/- (2) किसान समृद्धि योजना (वृष्टिछाया क्षेत्र अंतर्गत) (अ) सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के खनन लागत या अधिकतम 10,000/- तथा सफल नलकूप में पंप एवं सहायक सामग्री की लागत या अधिकतम 15,000/- (ब) अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों का खनन लागत या अधिकतम 18,000/- तथा सफल नलकूप में पंप एवं सहायक सामग्री की लागत या अधिकतम रु. 25,000/-</p> <p>Subsidy Pattern as fallow 1. Minor irrigation scheme (i) for General category of farmers of whole area & for S.C./S.T. farmers of area outside the Bastar & Sarguja Vikas Pradhikaran Jurisdiction:- (a) Drilling cost or maximum Rs. 10000/- (b) The cost of pump of accessory items, maximum Rs. 15000/- (on successful, tube wells only) (ii) For S.C./S.T. farmers coming under jurisdiction of Baster/Surguja Pradhikaran (a) Drilling cost max. Rs.18000/- (b) Cost of pump of accessory item, max. Rs. 25000/- (on successfully tube wells only) I. Drilling Subsidy: For General Category farmer cost of drilling or Rs. 10000 maximum & For SC/ST category farmers drilling cost or maximum Rs. 18000 II. Pump subsidy on successful tubewell: For General Category cost of pump and accessory or</p>
---	---

<p>11 क्या अनुदान के अतिरिक्त, हितग्राही द्वारा कोई मार्जिन मनी देने का प्रावधान है। यदि हां तो विभिन्न प्रकार के हितग्राहियों के लिये यह जानकारी प्रस्तुत की जाए।</p> <p>Whether any margin money is envisaged from the beneficiary, other than subsidy being provided. If so, details thereof may please be provided for different categories of beneficiaries.</p>	<p>विभाग द्वारा प्रकरण स्वीकृत करने हेतु किसी प्रकार के मार्जिन मनी जमा नहीं कराई जाती किंतु कृषकों को ऋण स्वीकृत करवाने हेतु बैंक द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करना होता है।</p> <p>No provision for margin money but required formalities should fulfill by farmers for loan sanctioning bank.</p>
---	--